कार्यसूची

दिनांक - 04 अगस्त 2025

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का

तृतीय (मानसून) सत्र 2025

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा | 04 अगस्त, 2025 (ई0)

सोमवार,तिथि-

[तृतीय(मानसून)सत्र] | 13 श्रावण,1947 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तरः-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः-

(04)- सर्वश्री रोशन लाल चौधरी,निर्मल महतो एवं श्री प्रदीप प्रसाद, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(05)- श्री चन्द्रदेव महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(06)-श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं श्रीमती सविता महतो, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(07)- श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(08) -श्री सरयू राय,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(09)-झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2025–2096/वि0स0,राँची,दिनांक–03/08/25

प्रतिलिपिः–अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03/08/25

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2025–2096/वि0स0,राँची,दिनांक–03/08/25.

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान–सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/25

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

03.08.25

−: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :−

(10)−प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर,प्रस्ताव करेंगे कि भारत का संविधान के अनुच्छेद−151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार वर्ष- 2025 का प्रतिवेदन संख्या−1) 31मार्च,2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन,झारखण्ड सरकार वर्ष- 2025 की प्रतिवेदन संख्या−03(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा−सिविल) जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है,को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम−238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(11)− झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा−पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(12)− याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

−: वित्तीय−कार्य :−

(13)− वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा वित्तीय वर्ष− 2025−26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।

(14)− अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः−कार्य0का0सू0−08/2025−2096/वि0स0,राँची,दिनांक−13/08/25

प्रतिलिपिः−माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान−सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/2025
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0/

01	02	03	04	05	06
09.	अ0सू0-13	श्री राजेश कच्छप	जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025
10.	अ0सू0-04	श्री अरूप चटर्जी	राशि वापसी की कार्रवाई करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.07.2025
11.	अ0सू0-32	श्री राज सिन्हा	जैमर अधिष्ठापित करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	30.07.2025
12.	अ0सू0-20	श्री सरयू राय	केन्द्रीय अनुदान का आधार	वित्त विभाग	27.07.2025
13.	अ0सू0-27	श्री अमित कुमार यादव	प्रोन्नति के संबंध में	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	30.07.2025
*14.	अ0सू0-24	श्री राम सूर्या मुण्डा	परीक्षाफल प्रकाशित करना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	27.07.2025
15.	अ0सू0-09	श्री हेमलाल मुर्मू	अपराधों पर नियंत्रण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.07.2025
16.	अ0सू0-02	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड प्रौबेशन सेवा का सुदृढ़ीकरण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2025
*17.	अ0सू0-17	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	फॉरेन्सिक साइंटिस्ट पद की पात्रता	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025
18.	अ0सू0-30	श्री भूषण बड़ा	नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	30.07.2025
19.	अ0सू0-16	श्री जयराम कुमार महतो	रिक्त पदों पर नियुक्ति	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.07.2025
20.	अ0सू0-15	श्री प्रदीप प्रसाद	नशा उत्पादन पर रोक	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.07.2025
21.	अ0सू0-01	श्री चन्द्रदेव महतो	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना	योजना एवं विकास विभाग	22.07.2025
22.	अ0सू0-11	श्री जयराम कुमार महतो	स्थानीय नीति लागू करना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025
23.	अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	प्रमाण पत्र बनाना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025
24.	अ0सू0-06	श्री प्रकाश राम	आयु सीमा में छूट	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025

(क्र0प्र0उ0)

01	02	03	04	05	06
25.	अ0सू0-31	श्री संजीव सरदार	नियमावली बनाना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	30.07.2025
26.	अ0सू0-19	श्री सरयू राय	उच्चस्तरीय जाँच	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	27.07.2025
27.	अ0सू0-21	श्री राजेश कच्छप	G.S.T न0 के सम्बन्ध में	वाणिज्यकर	27.07.2025
28.	अ0सू0-25	श्री राज सिन्हा	कार्रवाई करना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	30.07.2025
29.	अ0सू0-07	श्री अरूप चटर्जी	राजस्व की वसूली करना	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	26.07.2025
30.	अ0सू0-18	श्री रामचन्द्र सिंह	प्रोन्नति देना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	26.07.2025
31.	अ0सू0-22	श्री जर्नादन पासवान	जाँच कर कार्रवाई करना	वित्त (साख्यिकी)	27.07.2025
32.	अ0सू0-05	श्री उमाकान्त रजक	पेंशनरों के लिए C.P.P.C कार्यालय की स्थापना	वित्त विभाग	26.07.2025
*33.	अ0सू0-12	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	योजना का लाभ देना	सूचना एवं जनसम्पर्क	26.07.2025
34.	अ0सू0-33	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	प्रोन्नति करना	कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा	30.07.2025

नोट (i) * क्रमांक-05- वित्त विभाग के पत्रांक-1812, दिनांक-28.07.2025 के द्वारा ऊर्जा विभाग झारखण्ड सरकार, राँची को स्थानान्तरित।

(ii) * क्रमांक-08 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4530, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानान्तरित।

(iii) * क्रमांक-14 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4532, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को स्थानान्तरित।

(iv) * क्रमांक-17 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4531, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-04, अगस्त, 2025 ई0।

माणिक लाल हेम्ब्रम,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-07/2021-...2076....../वि0स0, राँची, दिनांक-..01.08.25
प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

वी० 31/07/25
(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-07/2021-....2076.........../वि0स0, राँची, दिनांक-.01.08.25.
प्रति :-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

वी० 31/07/25
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-07/2021-.2076......./वि0स0, राँची, दिनांक-.01.08.25
प्रतिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/वेबसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा एवं प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

वी० 31/07/25
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

31/07

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट प्राप्त होती है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में नियोजन हेतु अधिकतम उम्रसीमा को निम्नवत निर्धारित की गयी है:– अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 35 वर्ष पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– 37 वर्ष महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)–38 वर्ष महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)– 38 वर्ष अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष
2.	क्या यह बात सही है कि, कई राज्यों यथा बिहार, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान में यह सीमा 5 वर्ष है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की दिनांक 20.02.2024 की आहूत बैठक के बाद अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट का निर्णय की अनुशंसा पत्रांक 85/पि०, दिनांक 27.02.2024 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची को भेजी गई थी;	अस्वीकारात्मक। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–103 दिनांक–05.03.2024 के द्वारा दिनांक–20.02.2024 के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट प्रदान करने की अनुशंसा संबंधी आयोग की बैठक की कार्यवाही प्राप्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आयोग की अनुशंसा के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में छूट को 5 वर्ष करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–29 दिनांक–04.01.2021 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में नियोजन हेतु अधिकतम उम्रसीमा निर्धारित किया गया है, जो दिनांक–01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/झा०वि०स०–15–19/2025 का.– 4629/राँची, दिनांक– 01/8/25

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1885 दिनांक–26.07.2025 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.2025
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–21 की उत्तर–सामग्री

क्र.सं.	प्रश्न	वस्तुस्थिति
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वस्तुओं/माल की खरीदगी, सभी तरह के ट्रांजेक्शन E-Auction Accessories Dealing, Coal/Iron ore Trading Major/Minor Minerals Trading एवं अन्य व्यापार Government of Market Place (GeM) Portal पर Direct Purchase व्यवस्था के तहत राज्य के बाहर के कंपनियों/निजी संस्थाओं द्वारा Online Tender डाला जाता है ?	आंशिक स्वीकारात्मक, 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' में वस्तुओं एवं सामग्रियों की अधिप्राप्ति में 'Government e Marketplace (GeM) platform' को अधिमानता दी गयी है परंतु 'GeM' से इतर भी अधिप्राप्ति करने संबंधी प्रावधान उक्त में समाहित हैं। संबंधित प्रावधान अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। ई–निविदा की सुविधा 'GeM Portal' पर निबंधित विक्रेताओं को उपलब्ध है जिन्होंने GeM की शर्तों के अनुसार अपने वस्तुओं/सेवाओं को प्रस्तुत किया हो। GeM Portal पर e-Auction, Coal/Iron ore Trading एवं Major/Minor Minerals Trading सरकारी खरीदगी से संबंधित विषय नहीं हैं।
2	क्या यह बात सही है कि GeM Portal Government of India के नियंत्रण में है जिसके तहत राज्यों के बाहर के GST No. से भुगतान होने से GST का प्रारूप Integrated GST का हो जाता है?	स्वीकारात्मक। GeM Portal Ministry of Commerce and Industries, Government of India के नियंत्रण में है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Integrated GST से राज्य के हिस्से की अरबों की राशि केन्द्र सरकार के खाते में चला जाता है, जिससे राज्य को TAX की भार क्षति हो रही है?	अस्वीकारात्मक। IGST एक एकीकृत कराधान व्यवस्था है जिसमें आधा हिस्सा केन्द्र का एवं आधा हिस्सा राज्य का होता है। GST एक गंतव्य आधारित कर प्रणाली (Destination Based Tax System) है अर्थात वस्तुओं/सेवाओं पर कर उस राज्य में प्राप्त होगा, जहाँ उनका अंतिम उपभोग (Consumption) होता है, ना कि जहाँ से

G \pranup doc

		उनका प्रेषण (origin) हुआ है। निबंधित व्यवसायियों द्वारा द्वारा उद्ग्रहित IGST केन्द्र सरकार को जाती है, तदुपरांत विवरणियों के माध्यम से प्राप्त आँकडों के आलोक में उपभोक्ता राज्य को IGST में से उसका हिस्सा Settlement Process द्वारा उसी माह में स्थानांतरित कर दी जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के बाहर की एजेंसी को झारखण्ड का GST No. लेने पर ही राशि आवंटित करना चाहती है, जिससे राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि होगी, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	**अस्वीकारात्मक।** यथा उपर्युक्त कंडिका–3

अनुलग्नक–यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक :– 08/विधि को० (7)–58/2025......1899/वि०.....राँची, दिनांक 02/08/2025

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/08/2025
(ज्योति कुमारी झा)
सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

G:\prarup doc

CHAPTER- III

Methods of Procurement

5.1 Procurement may preferably be made on Government e marketplace (GeM) platform but procuring entity may make procurement outside the Government e marketplace (GeM) platform after giving due consideration to cost-efficiency and financial propriety and assigning reasons thereof in writing.

5.2 The procurement of goods and services on Government e Marketplace (GeM) shall be in accordance with the terms and conditions of Government e Marketplace (GeM).

5.3 The procuring entity may procure by one of the following methods when the value of subject matter of procurement is equal to or more than Rupees Ten Lacs-

5.3.1 The procuring entity may procure by open competitive bidding on Government e Marketplace (GeM). The procurement entity shall generally conduct electronic Reverse auction when the value of subject matter of procurement is equal to or more than Rupees One crore and they shall record the reason in writing if it is not feasible to conduct the reverse auction.

5.3.2 The procuring entity may procure by open competitive bidding on the procurement portal of Department of Information Technology and e Governance after giving due consideration to cost-effeciency and financial propriety and assigning reasons thereof in writing.

5.3.3 Procuring entity may use an online portal other than procurement portal of Department of Information Technology and e

Governance for the procurement of subject matter of procurement only with the prior approval of State Cabinet.

5.4 The procuring entity may procure by one of the following methods when the value of subject matter of procurement is more than *Rupees 1.5 Lacs and less than Rupees 10 Lacs*

5.4.1 The procuring entity may adopt open competitive bidding on Government e Marketplace (GeM). Alternatively, the procuring entity may procure by open competitive bidding on the procurement portal of Department of Information Technology and e Governance.

5.4.2 The procuring entity may procure at the lowest price after checking/obtaining prices offered by sellers of at least three different original equipment manufacturers on Government e Marketplace (GeM) provided the procurement committee is satisfied regarding price and specifications. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avoid the method of open competitive bidding.

5.4.3 Procurement entity may procure by online procurement, either from original equipment manufacturer website or from established e-Commerce sites such as Reliance Digital, Croma, Amazon, Flipkart etc. The procurement committee shall obtain prices from at least three different e-Commerce sites and make recommendation regarding purchase/ not to purchase. The procuring entity shall procure at the lowest available price based on the recommendation

of the procurement committee· The procurement committee shall satisfy itself that the subject matter of procurement meets the requisite specifications and is reasonably priced. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avoid the method of open competitive bidding.

5.4.4 The procuring entity may procure by the method of request for quotations. The procedure of procurement by request for quotations shall include the following:

5.4.4.1 Quotations shall be invited from as many potential bidders as practicable by publishing advertisements on the procuring entity's notice board, website *(if available)* and two local newspapers as well.

5.4.4.2 The quotes shall be tabulated and evaluated, and a comparative statement shall be prepared by the procurement committee recommending the successful bidder. The comparative statement shall be signed by all the members of the procurement Committee.

5.4.4.3 From a minimum of three quotations the lowest priced quotation which meets the specifications of the subject matter of procurement shall be recommended as the successful quotation by the procurement committee.

5.4.4.4 The procuring entity shall take the decision based on the recommendation of the procurement committee.

5.4.4.5 The procuring entity shall satisfy itself that the subject

matter of procurement meets the requisite specifications and is reasonably priced.

5.4.4.6 The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avoid the method of open competitive bidding

5.4.4.7 The controlling/supervising officers and internal auditors may cross check a random sample of such procurements to ensure that: -

5.4.4.7.1 The same vendor(s) is/are not being patronized repeatedly.

5.4.4.7.2 The demand is not split into small quantities for the sole purpose of avoiding the necessity of obtaining approval from higher authority.

5.5 The procuring entity shall procure by the following methods when the value of subject matter of procurement is equal to or more than Rupees Fifty Thousand and equal to or less than 1.50 lacs:

5.5.1 The procuring entity may adopt open competitive bidding on Government e Marketplace (GeM) or the procuring entity may procure at the lowest price after checking/obtaining prices offered by at least sellers of three different original equipment manufacturers on Government e Marketplace (GeM) provided the procurement committee is satisfied regarding price and specifications.

5.5.2 Alternatively, the procuring entity may procure by open competitive

bidding on the procurement portal of Department of Information Technology and e Governance.

5.5.3 Procurement entity may procure by online procurement, either from original equipment manufacturer website or from established e-Commerce sites such as Reliance Digital, Croma, Amazon, Flipkart etc. The procurement committee shall obtain prices from at least three different e-Commerce sites and make recommendation regarding purchase/not to purchase. The procuring entity shall procure at the lowest available price based on the recommendation of the procurement committee. The procurement committee shall satisfy itself that the subject matter of procurement meets the requisite specifications and is reasonably priced. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avoid the method of open competitive bidding.

5.5.4 The procuring entity may procure by the method of request for quotations. The procedure of procurement by request for quotations shall include the following:

5.5.4.1 Quotations shall be invited from as many potential bidders as practicable by publishing advertisements on the procuring entity's noticeboard and website (*if* available).

5.5.4.2 The quotes from the bidders shall be tabulated and evaluated, and a comparative statement shall be prepared by the procurement committee recommending the successful bidder. The comparative statement shall be signed by all the

members of the procurement Committee.

5.5.4.3 From a minimum of three quotations the lowest priced quotation which meets the specifications of the subject matter of procurement shall be recommended as the successful quotation by the procurement committee.

5.5.4.4 The procuring entity shall take the decision based on the recommendation of the procurement committee.

5.5.4.5 The procuring entity shall satisfy itself that the subject matter of procurement meets the requisite specifications and is reasonably priced.

5.5.4.6 The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avoid the method of open competitive bidding.

5.5.4.7 The controlling/supervising officers and internal auditors may cross check a random sample of such procurements to ensure that: -

5.5.4.7.1 The same vendor(s) is/are not being patronized repeatedly.

5.5.4.7.2 The demand is not split into small quantities for the sole purpose of avoiding the necessity of obtaining approval from higher authority.

5.6 The procuring entity shall procure by one of the following methods when the value of subject matter of procurement is less than Rupees Fifty Thousand.

5.6.1 The procuring entity may purchase directly from any of the available sellers on Government e Marketplace (GeM) provided the procurement entity is satisfied regarding price and specifications. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avail this method.

5.6.2 Procuring entity may procure by online procurement, either from original equipment manufacturer website or from established eCommerce sites such as Reliance Digital, Croma, Flipkart etc. The procuring entity shall procure at the lowest available price.

5.6.3 The procuring entity shall satisfy itself that the subject matter of procurement meets the requisite specifications and is reasonably priced. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avail this method.

5.6.4 The procuring entity may purchase directly from the market. The procurement entity shall satisfy itself that the subject matter of procurement is of requisite quality and is reasonably priced. The procuring entity shall not divide the quantity of subject matter of procurement to avail this method.

5.7 The procuring entity may directly purchase automobiles of value notified by the Department of Finance on Government e Marketplace (GeM) platform as per the terms and conditions of Government e Marketplace (GeM). If the make or model of automobile is not available on Government e Marketplace (GeM) platform, procuring entity may

decide to procure the automobile directly from authorized dealer/show-room. The procuring entity shall issue a certificate of non-availability of that particular make or model of automobile on Government e Marketplace (GeM) as per Schedule I in such cases. **

5.8 Rate Contract

5.8.1 The procuring entity may adopt the method of rate contract when the quantity of the subject matter of procurement cannot be exactly determined beforehand and there is likelihood of procurement. (Example Stationery, consumables like printer cartridge, Food items, installation of tent/hanger, hiring of vehicles, hiring of furniture).

5.8.2 The procedure for rate contract shall be as under: -

5.8.2.1 A procuring entity shall award a rate contract by the method of open competitive bidding on procurement portal of Department of Information Technology and e Governance.

5.8.2.2 An approximate quantity of required goods or service during the period may be indicated in the Notice Inviting Bids, but no minimum quantity is guaranteed

5.8.2.3 The period of the rate contract shall generally be one year and shall not exceed two years.

5.8.2.4 In the first stage bids shall be invited as in open competitive bidding and rate contract shall be executed with the bidder of lowest priced bid.

5.8.2.5 A rate contract shall be executed without a commitment for quantity, place, and time of supply of subject matter of procurement, with the lowest price bidder. Procuring entity shall not execute Rate contract with more than one bidder.

5.8.2.6 In the second stage work order shall be placed with the single successful bidder at the contracted price for supply or execution of the required quantity of the subject matter of procurement mentioning the place of supply or execution, delivery schedule etc.

5.8.2.7 The process adopted for the rate contract shall be same as that prescribed for procurement by open competitive bidding.

5.8.2.8 The prices under a rate contract shall be subject to the price fall clause. A clause regarding price fall shall be incorporated in the terms and conditions of the rate contract. Price fall clause provides that if the rate contract holder offers similar goods or services at a price lower than the rate contract price to anyone in the State at any time during the duration of the rate contract, the rate contract price shall be automatically reduced with effect from the date of reducing the price.

5.8.2.9 The rate contract shall not be extended beyond the contract period.

5.8.2.10 The value of goods and services procured by rate contract

shall not exceed the budgetary provision for the year.

5.8.2.11 The value of goods and services procured by rate contract shall not exceed the financial power of the competent authority.

5.8.2.12 The procuring entity shall invite bids and finalize the next rate contract, if required, before the expiry of the period of a rate contract.

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठ्म झारखण्ड विधान–सभा

तृतीय–(मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 04.08.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री रोशन लाल चौधरी, स0वि0स0 श्री निर्मल महतो, स0वि0स0 श्री प्रदीप प्रसाद स0वि0स0	राज्य में भू–अर्जन और विस्थापन अधिनियमों में भू–अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा भुगतान की नीति अलग–अलग रहने के कारण राज्य के मूल निवासी, आदिवासियों के विस्थापन के बाद उचित, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा भुगतान भी अलग–अलग होता है। जुलाई, 2024 के राज्य कैबिनेट की बैठक में 90 दिन में विस्थापन आयोग के गठन करने के निर्णय के बावजूद अभी तक विस्थापन आयोग गठन नही हो पाया है। जिसके कारण विस्थापन के पश्चात् एक दो पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जा रही है। विस्थापितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन नीति को समरूप करते हुए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु एक वर्ष से अधिक समय तक आयोग का गठन नही हो पाया है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		अतः आपके माध्यम से सरकार से विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन शीघ्र करने की मांग करता हूँ।	
02-	श्री चन्द्रदेव महतो स0वि0स0	15वें वित्त आयोग की राशि की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि 15वें वित्त आयोग की राशि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वन के लिए किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की राशि राज्य के पंचायतों को नहीं मिलने से पंचायतो का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जल्द 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतो को आवंटित की जाय।	वित्त
03-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्रीमती सबिता महतो स0वि0स0	धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के आसनबनी गाँव में दिनांक- 11.07.25 सेल कम्पनी एवं उनके लोगों के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के क्रम में कृषि/रैयती जमीन पर सेल कम्पनी एवं उनके लोगों के द्वारा जिला प्रशासन, अंचल अधिकारी बलियापुर, थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ बड़ी बेरहमी से पिटा गया और उनके मकान को JCB से ध्वस्त कर दिया गया, जब उन लोगों के द्वारा थाना में F.I.R दर्ज किया गया तो जो उसमें शामिल थे, उनके नाम को शामिल नहीं किया गया। मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस समय जो उपस्थित थे, जिसमें सेल कम्पनी के अधिकारी, अंचल अधिकारी बलियापुर, थाना प्रभारी एवं अन्य लोगो पर F.I.R दर्ज करते हुये इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर इससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की माँग करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

क्र0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
04-	श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0	राज्य के 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में संविदा पर 252 **Need Based Lecture (NBL)** और सरकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संविदा पर 700 **Need Based Assistant Professor** वर्षों से विभाग में क्रमशः **AICTE** तथा **UGC** द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करते हुए कार्यरत शिक्षक समायोजन की माँग करते रहे है। नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट एवं कार्य के प्रतिवर्ष पर 5. अंक अतिरिक्त अधिमानता (वेटेज) दिये जाने का प्रावधान हो ताकि उनका समायोजन हो सके। अभी जो सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु जो अधियाचना **JPSC** को भेजी गयी उसमें इन छूट का उल्लेख नहीं है। इसी सरकार द्वारा 2023 में **झारखण्ड में श्री पोलिटेक्निक संस्थान में विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की गयी है।** यदि समायोजन में सरकार कठिनाई का अनुभव करती हो तो कार्यरत सारे शिक्षक जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया गया हो तथा चयन मेघा एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि सम्बन्ध में समान कार्य समान वेतन के आधार पर उम्र सीमा (सेवानिवृत्ति) 65 वर्ष तक हो। बिहार, प0 बंगाल, उड़िसा, हरियाणा इत्यादि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण समायोजन अथवा सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष किया गया है। अतः इस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
05-	श्री सरयू राय, स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला का जमशेदपुर शहर यातायात की समस्या से जूझ रहा है। बिस्टुपुर, शास्त्री नगर, साक्ची, मानगो, बाराद्वारी, भालूबासा, भुईयाडीह,जेम्को	पथ निर्माण

क्र0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		आदि इलाकों में यातायात जाम रोजाना परेशानी का कारण बन रहा है। मानगो-बिस्टुपुर और लिट्टी चौक-एनएच-33 निर्णाणाधीन फ्लाइओवर की स्वीकृत डिजाइन में त्रुटि होने, टेल्को अन्ना चौक-पीपला गोविन्दपुर उपरी पथ तथा शास्त्री नगर में खरकई नदी किनारे अल्कोर होटल-भाटिया पार्क सड़क एवं फ्लाइओवर निर्माण का कार्य बीच में रुक जाने से यातायात जाम की समस्या जानलेवा हो गई है और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। समय की मांग है कि टाटा स्टील सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन वृद्धि के मद्देनजर जमशेदपुर एवं आस-पास की यातायात समस्याओं के समाधान हेतु मानगो फ्लाइओवर के मानगो चौक-पायल सिनेमा छोर के अंश का दोहरीकरण किया जाय, लिट्टी चौक फ्लाइओवर का काम आरम्भ किया जाए, बिस्टुपुर नागा बाबा मंदिर से भुईयाडीह श्मशान घाट से पहले तक एक फ्लाइओवर बनाया जाए, बाराद्वारी, भालूबासा, साक्ची, बिस्टुपुर रीगल बिल्डिंग चौक पर फ्लाइओवर बनाया जाए, अन्ना चौक-पीपला उपरी पथ एवं शास्त्री नगर खरकई नदी किनारे सड़क एवं फ्लाइओवर की स्थगित योजनाओं को पुनः आरम्भ किया जाए, बारीडीह से मोहरदा-मुराकाटी तक फ्लाइओवर एवं वहाँ से स्वर्णरेखा नदी तक बाईपास सड़क, बागबेड़ा से दोमुहानी तक खरकई नदी पर और दोमुहानी से बारीडीह तक स्वर्णरेखा नदी के विभिन्न स्थानों पर पुल निर्माण की योजना बनाई जाए, गोविन्दपुर एवं जेम्को-जोजोबेड़ा में रेल उपरी पथ का निर्माण शीघ्र किया जाए और जमशेदपुर एवं जमशेदपुर से सटे घनी आबादी वाले इलाकों के	

-क्र०पृ०३०-

01.	02.	03.	04.
		लिए परिवहन एवं यातायात समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए पथ निर्माण एवं पथ उन्नयन की एक समेकित एवं व्यापक योजना तैयार की जाए। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ और जमशेदपुर शहर एवं समीपवर्ती इलाकों की गम्भीर यातायात जाम समस्या एवं उपर्युक्त विवरण के आलोक में इसके शीघ्र समाधान की माँग करता हूँ।	

राँची,
दिनांक– 04 अगस्त, 2025 ई०।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 –37/2025–2094/वि0स0,राँची,दिनांक– 02/08/25

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0–37/2025–2094/वि0स0,राँची,दिनांक– 02/08/25

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

02/08/25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

ज्ञाप संख्या–वि0स0वि0–10/2025–2095/वि0स0,राँची,दिनांकः–03/08/25.

सेवा में,

मानानीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

+प्रतिः संलग्न — उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री सुदिव्य कुमार ने "झारखण्ड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025" को झारखण्ड विधान सभा में पुरःस्थापित करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है और साथ ही यह भी सूचना दी है कि पुरःस्थापित होने के बाद उक्त विधेयक पर विचार हो तथा इसे पारित किया जाय।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

नोटः– इस विधेयक पर संशोधन देने की तिथि–04–08–2025 को 03.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।

ज्ञाप सख्या–वि0स0वि0–10/2025 2095 वि0स0,राँची,दिनांक–03/08/25

प्रतिलिपिः–माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/सरकार के मुख्य सचिव/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

03/08/25
(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–10/2025–2095/वि0स0,राँची,दिनांक–03/08/25.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03/08/25
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

03.08.25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा में श्री नवीन जयसवाल स०वि०स० को भारतीय जनता पार्टी (विपक्षी दल) का मुख्य सचेतक के रूप में एवं श्री राज सिन्हा, स०वि०स० तथा श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० को भारतीय जनता पार्टी (विपक्षी दल) का सचेतक के रूप में दिनांक- 01.08.2025 को मान्यता प्रदान की गई है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(हस्ताक्षर) ०.०८.२०२५
(माणिक लाल हेम्ब्रम)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- कार्मिक-11/24-2332/वि०स०, राँची, दिनांक- 03 08/25

प्रतिः- श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स०, श्री राज सिन्हा, स०वि०स०, श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 03/08/2025
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- कार्मिक-11/24-2332/वि०स०, राँची, दिनांक- 03 08/25

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड /माननीय मंत्रिगण झारखण्ड एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष , माननीय सदस्यगण झारखण्ड विधान सभा, राँची के सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 03/08/2025
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- कार्मिक-11/24-2332/वि०स०, राँची, दिनांक- 03/08/25

प्रतिः- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) झारखण्ड सरकार,राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 03/08/2025
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- कार्मिक-11/24-2332/वि०स०, राँची, दिनांक- 03/08/25

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ प्रभारी सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं कार्मिक शाखा को 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 03/08/2025
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(हस्ताक्षर) 03/08/25

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–01

तृतीय (मॉनसून) सत्र
शुक्रवार, दिनांक–01अगस्त, 2025 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 11.48 बजे पूर्वा० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारम्भिक वक्तव्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस मानसून सत्र में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह सत्र 01 अगस्त से 07 अगस्त तक आहूत है जिसमें राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट तथा राजकीय विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे। इस सत्र में कुल–05 बैठकें हैं जिसमें प्रत्येक दिन प्रश्नकाल है तथा 07 अगस्त को गैर–सरकारी संकल्प भी उपस्थापित किये जायेंगे।

आसन द्वारा कहा गया कि संविधान सभा में कहे गये बातों के अनुरूप हमें ध्यान रखना है कि हर कार्यवाही, हर निर्णय और हर चर्चा इसकी भावना के अनुसार हो। विश्व के अनेक देशों में 2025 में आम चुनाव सम्पन्न हुए जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जनता की भागीदारी का नया संदेश मिला इस बीच भारत ने भी अपनी लोकतांत्रिक परम्पराओं को जीवित रखा, बल्कि दुनियाँ को संदेश भी दिया कि विविधता में एकता तथा संसदीय गरिमा हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इस सत्र में प्रस्तुत होनेवाला प्रथम अनुपूरक बजट राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा साथ ही विश्वास है कि विधेयकों पर गम्भीर, रचनात्मक और सार्थक बहस होगी तथा इसे पारित किया जायेगा। हम सभी को मर्यादित आचरण और जिम्मेवारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाये रखना है। इस सत्र के दौरान विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं दो सचेतक मिल रहे हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय को प्रभावी बनायेंगे।

अंत में आशा व्यक्त की गयी कि आप सभी सक्रिय और सकारात्मक भावना से इस मानसून सत्र में भाग लेंगे और झारखण्ड को नयी उँचाईयों तक ले जाने में अमूल्य योगदान देंगे साथ ही माननीय दिशोम गुरू श्री शिबू सोरेन के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की गयी।

2.सभापति तालिका की घोषणा–

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–10(1) के अधीन षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को सभापति मनोनीत किया गया–

कृ०पृ०उ०

श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स०,
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स०,
श्री निरल पुरती, स०वि०स०,
श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०,
डॉ० नीरा यादव, स०वि०स०।

3.कार्य–मंत्रणा समिति की घोषणा–

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–224(1) के अधीन षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया–

श्री रबीन्द्र नाथ महतो,	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन,	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री राधाकृष्ण किशोर,	संसदीय कार्यमंत्री	सदस्य
श्री बाबूलाल मराण्डी,	नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
श्री सरयू राय,	स०वि०स०	सदस्य
श्री निरल पुरती,	स०वि०स०	सदस्य
श्री अरूप चटर्जी,	स०वि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री दीपक बिरूआ,	मंत्री
श्री मथुरा प्रसाद महतो,	मुख्य सचेतक (सत्तापक्ष)
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	स०वि०स०
प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०
श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०
श्री सुरेश पासवान,	स०वि०स०
श्री नवीन जयसवाल,	स०वि०स०
श्री जनार्दन पासवान,	स०वि०स०
श्री बसन्त सोरेन,	स०वि०स०
डॉ० नीरा यादव,	स०वि०स०
श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन	स०वि०स०
श्री निर्मल महतो	स०वि०स०
श्री जयराम कुमार महतो,	स०वि०स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यक्षीय कार्यालय कक्ष में होगी, इस आशय की सूचना आसन से दी गयी तथा सभी सम्बन्धित माननीय सदस्यों इसमें उपस्थित रहने का आग्रह भी किया गया।

4.औपचारिक कार्य–

आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर माननीया राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ है–

(क) माननीया राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना–

क्र०स०	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
01.	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड 'संशोधन) विधेयक, 2021	29.05.2025	07/2025

(ख) माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना–

क्र०सं०	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
01.	झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2025	05.03.2025	01/2025
02.	झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2025	27.03.2025	02/2025
03.	झारखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2025	11.04.2025	03/2025
04.	झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2025	16.04.2025	04/2025
05.	झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023	11.04.2025	05/2025
06.	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023	11.04.2025	06/2025

(ग) कृत–कार्रवाई प्रतिवेदन का सभा पटल पर रखा जाना–

आसन की अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालय के नियम–244(2) के अधीन षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत–कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

5.आसन से घोषणा–

आसन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड प्रदेश के पत्रांक–21/2025 दिनांक–26.07.25 के द्वारा प्रेषित अनुरोध के आलोक में षष्ठम झारखण्ड विधान सभा में श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० को भारतीय जनता पार्टी (विपक्षी दल) का मुख्य सचेतक एवं श्री राज सिन्हा स०वि०स०, श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० को भारतीय जनता पार्टी (विपक्षी दल) का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान किया गया।

6.आसन से सूचना–

(क) आसन द्वारा सूचित किया गया कि षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण का स्थायी परिचय पत्र (**Permanent Digital I.D.Card**) बनने की प्रक्रिया में है। इस निमित्त तृतीय (मानसून) सत्रावधि में वितरण पटल के समीप विधायक लॉबी में दिनांक–01.08.2025 से दिनांक–07.08.2025 तक माननीय सदस्यगण का फोटोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। कृपया माननीय सदस्यगण अपना–अपना फोटोग्राफी करा लें।

(ख) आसन द्वारा सूचित किया गया कि 76वाँ वन महोत्सव, 2025 के अवसर पर नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभा समाप्ति के उपरांत सभी माननीय सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं।

7.शोक–प्रकाश–

आसन द्वारा विगत सत्र से अबतक की अवधि के बीच से निधन हुए कई राजनेता, कलाकार खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिकों के प्रति अपनी गहरी शोक–संवेदना प्रकट किया गया। प्रमुख निधन हुए व्यक्तियों में पूर्व मंत्री एवं सांसद, चन्द्रशेखर दूबे, तिलकधारी सिंह, पूर्व विधायक युगल किशोर पाण्डेय, वास्ता सोरेन, ओमीलाल आजाद, ज्योतिन्द्र प्रसाद, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, वी०एस० अच्युतानंदन, कैथोलक ईसाई धर्मगुरू, पोप फ्रांसिस, पूर्व हॉकी कोचं, प्रतिमा बरवा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ० शोभा चक्रवर्ती, सामाजिक कार्यकर्ता, कपूर कुमार टुडू, फिल्म अभिनेता, मनोज कुमार, वन्यजीव संरक्षणवादी, वाल्मीक थापर, इसरो प्रमुख, के० कस्तुरीरंगन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ० जयन्त विष्णु नार्लीकर, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, एम०आर० श्रीनिवासन के साथ–साथ पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गये 26 पर्यटकों की मौत, एयर इण्डिया विमान हादसा में 241 यात्रियों की मौत, सारंडा जंगल में सी. आर.पी.एफ. जवान की मौत, देवघर–गोड्डा मार्ग पर सड़क हादसे में छः कांवरियों की मौत तथा राज्य के

कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चपेट में आये लोगों की मौत की घटना पर भी शोक संवेदना व्यक्त की गयी।

तदुपरांत आसन से पुकारे जाने पर सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबूलाल मराण्डी, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, श्री सुरेश पासवान, माननीय सदस्य, श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, श्री जनार्दन पासवान, माननीय सदस्य, श्री निर्मल महतो एवं माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो ने भी ऊपर उल्लिखित निधन हुए विभूतियों के प्रति अपनी शोक–संवेदना प्रकट की। इसके पश्चात् शोक संवेदना प्रकट करने हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक–04.08.2025 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–01 अगस्त, 2025 ई०।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।